मुकाम ....

बनाम ....

.... नं .... सन् ....

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुये
08/11/21 आज यह पत्रावली स्वप्रेरणा से राज्य सरकार के निर्देशों की पालना में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत......ढिलोडी...... में दिनांक..10-11-21...... को पेश होने वास्ते तलब होकर पेश हुई। पक्षकारान को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत...ढिलोडी... में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक.......10-11-21.. को कैम्प कोर्ट/राजस्व लोक अदालत ग्राम पंचायत...ढिलोडी... पेश हो। उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर	
10/11/21 आज यह पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत ढिलोडी में पेश हुई। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार रैणी के प्रार्थना पत्र अपील धारा 75 RT Act स्वीकार किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली निर्णीत होकर रजिस्टर से कम की जावे। बाद मुर्तब दाखिल दफ्तर हो। पीठासीन अधिकारी प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत....ढिलोडी उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी जिला अलवर

(पीठीसान अधिकारी श्री अनिल कुमार सिघंल)

वाद सख्या 12/02/2020

1. प्रकाश चन्द जॉगिड पुत्र श्री रामजीलाल जॉगिड जाति खाती आयु करीब 52 साल निवासी ग्राम बारा भडकोल तन छिलोडी तहसील रैणी जिला अलवर

...........अपीलान्ट

बनाम्

1. ग्राम पंचायत छिलोडी, पचांयत समिति रैणी जिला अलवर जरिये सरपंच
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलैक्टर महोदय, अलवर राजस्थान
3. तहसीलदार साहब रैणी जिला अलवर

...........रेस्पोडेन्ट

अपील इन्तकाल निर्णय दिनांक 24.09.1972

उपस्थित : श्री सुभाष चन्द शर्मा

निर्णय दिनांक 10.11.2021

आज यह अपील वास्ते निर्णय हेतु प्रशासन गॉव के संग कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत छिलोडी पर पेश हुई। अपीलान्ट द्वारा अपील मे निवेदन किया कि हाल खाता संख्या 105, आराजी खसरा नं0 246/1.33, 404/0.86 कुल किता 2 कुल रकबा 2.19 हैक्ट0 ग्राम छिलोडी तहसील रैणी जिला अलवर मे स्थित है। जिस आराजी का अपीलान्ट जमाबंदी सम्वत् 2075 के अनुसार 1/2 हिस्से का काबिज रिकाडेड खातेदार काश्तकार है। उक्त आराजी के बन्दोबस्त 2046 से पूर्व ख0नं0 114 रकबा 5 बीघा 7 बीस्वा 75 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा थे। जिस साबिक आराजी के जमाबंदी सम्वत् 2022–25 के अनुसार अपीलान्ट के दादा भवरजी पुत्र हरबक्स खाती खातेदार काश्त थे।

यह है कि अपीलान्ट के दादा भंवरजी के अन्तिम समय मे अपीलान्ट व उसके भाई बसन्ती लाल द्वारा इनकी सेवा की थी। जिससे प्रसन्न होकर भंवरजी द्वारा ख0नं0 114 रकबा 5 बीघा 7 बीस्वा 75 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा को जरिये रजिस्टर्ड दान पत्र दिनांक 08.05.1972 तक को अपीलान्ट व उसके भाई बसन्ती लाल को

[illegible]। उस समय दोनो ही नाबालिक थे उक्त दान पत्र के आधार पर [illegible] संख्या 1 द्वारा इन्तकाल संख्या 47 दिनांक 24.09.1972 को दर्ज कर स्वीकार लिया। जिस इन्तकाल संख्या 47 मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा हिबानामा दिनांक 08.05.1972 मे दर्जानुसार ही अपीलान्ट का नाम पप्पू दर्ज कर दिया जो नाम घरेलू है। जिसके आधार पर हाल राजस्व रिकार्ड मे भी अपीलान्ट का नाम गलत तौर पर पपपू दर्ज चला आ रहा है। जबकि वास्तविक सही नाम प्रकाश चन्द जॉगिड है। जिसकी पुष्टि मे अपीलान्ट द्वारा अपना आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा समस्त शैक्षणिक दस्तावेज पेश किये है। जिससे यह अपीलान्ट का सही नाम प्रकाश चन्द जॉगिड होना साबित होता है।

यह है कि हाल राजस्व रिकार्ड मे अपीलान्ट का गलत नाम पप्पू दर्ज रहने से उसके हकूक खातेदारी प्रभावित हो रहे है। तथा आराजी के सही उपयोग व उपभोग मे भी व्यवधान हो रहा है। उक्त त्रुटि की जानकारी प्रार्थी द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के समय जमाबंदी की नकल प्राप्त करने पर हुई। जिसके तत्काल बाद ही अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय श्रीमान के यहा प्रस्तुत की गई है। इसलिये जानकारी से अन्दर मियाद पेश की है।

अंत अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत छिलोडी द्वारा दर्ज इन्तकाल संख्या 47 दिनांक 24.09.1972 मे अपीलान्ट का नाम पप्पू के स्थान पर प्रकाश चन्द जॉगिड दर्ज करने का आदेश करने का निवेदन किया तथा हाल खाता संख्या 105 ख0नं0 246/1.33, 404/0.86 वाके ग्राम छिलोडी तहसील राजगढ के राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त करने का निवेदन किया।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। आज पत्रावली प्रशासन गॉव के संग अभियान कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत छिलोडी पर अपीलान्ट के निवेदन पर पेश हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3 उपस्थित आये। उनके द्वारा रिपोर्ट व प्रमाण पत्र पेश किया। प्रस्तुत रिपोर्ट मे अपीलान्ट का सही नाम पप्पू के स्थान पर प्रकाश चन्द जॉगिड होना स्वीकार किया व इसी अनुसार हाल रिकार्ड मे भी दुरूस्त करने की अभिशंषा की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। इन्तकाल संख्या 47 व जमाबंदी सम्वत् 2075 खाता संख्या 106 वाके ग्राम छिलोडी व अपीलान्ट की ओर से सबूत मे प्रस्तुत दस्तावेज मिलान क्षेत्रफल 2046, जमाबंदी सम्वत् 2022–25, हिबानामा, हाल जमाबंदी व प्रार्थी की ओर से अपना आधार कार्ड, फोटो पहचान पत्र, पैन कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड तथा समस्त शैक्षणिक दस्तावेज पेश किये है का भी

... व निरीक्षण किया। प्रस्तुत दस्तावेजात से व तहसीलदार रैणी व सरपंच ग्राम पंचायत छिलोडी द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 10.11.2021 का भी अवलोकन किया। उक्त समस्त दस्तावेज से अपील अपीलान्ट तक सही होने की पूर्णरूप से पुष्टि होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड रिपोर्ट तहसीलदार रैणी प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत छिलोडी के आधार पर अपील अपीलान्ट काबिल स्वीकार योग्य पाई जाती है। अतः

ओदश है कि

अपील अपीलान्ट इन्तकाल संख्या 47 दिनांक 24.09.1972 ग्राम पंचायत छिलोडी तहसीलदार रैणी की कार्यवाही निरस्त करते हुये हाल खाता संख्या 105, आराजी खसरा नं0 246/1.33, 404/0.86 कुल किता 2 कुल रकबा 2.19 हैक्ट0 ग्राम छिलोडी तहसील रैणी जिला अलवर मे जो अपीलान्ट/खातेदार का नाम पप्पू पुत्र रामजीलाल दर्ज है मे से " पप्पू " नाम को हजफ किया जाकर उसके स्थान पर सही नाम प्रकाश चन्द जॉगिड पुत्र रामजीलाल दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार रैणी को दिये जाते है। इस प्रकार अपीलान्ट हाल रिकार्ड जमाबंदी मे पप्पू के स्थान पर प्रकाश चन्द जॉगिड दुरूस्त कराने का अधिकारी है। निर्णय की प्रति तहसीलदार रैणी को पालनार्थ भिजवाई जावे। शेष इन्द्राज यथावत रखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.11.2021 लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

10.11.21

(अनिल कुमार सिघंल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी रैणी (अलवर)

क्रमांक: शाजप/2022/69 दिनांक 7/2/22

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार रैणी को पालना हेतु प्रेषित कर लेख है कि मुताबिक निर्णय दिनांक 10.11.2021 की पालना कर पालना रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाने की व्यवस्था करें।

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला- अलवर